

निर्णय बड़जलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला
झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24/06/2022

प्रकरण संख्या 140/दावा/2020
ऑनलाइन प्रकरण संख्या 00190/2020

तारीख दायरा 23.12.2020

उनवान

मांगीबाई पुत्री देवा पत्नी बीरमचन्द जाति लोधा निवासी नागनियाखेडी हाल मुकाम समरौल
तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

वादनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

प्रतिवादी

वाद धारा :- 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय दिनांक 24.06.2022

उपस्थिति:- वकील वादी श्री अशोक कुमार लववंशी

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि यह कि यह कि ग्राम नागनियाखेडी पटवार हल्का जावर तहसील म0 थाना कि माल की खाता संख्या नया 99 पुरानी 86 की खसरा नम्बरान क्रमशः 141 की 0.5099 हैक्ट0, 143 की 0.162 हैक्ट0, 146 की 0.0647 हैक्ट0, 147 की 0.0243 हैक्ट0, 151 की 0.0890 हैक्ट0, 160 की 0.0405 हैक्ट0, 164 की 0.0728, 168 की 0.0647 हैक्ट0, 186 की 0.0971 हैक्ट0, 302 की 0.1538 हैक्ट0, 304 की 0.5018 हैक्ट0, 71 की 0.5585 हैक्ट0, 72 की 0.1538 हैक्ट0 कुल 15 कित्ता की 3.2051 हैक्ट0 भूमि मुझे वादी एवं सहखातेदारान के शामलाती खाते की दर्ज है। वर्णित आराजी में मुझे वादनी का नाम लिपि की त्रुटि के कारण घीसी पुत्री देवा दर्ज हो गया है जो गलत है। वादनी का वास्तविक नाम मांगीबाई पुत्री देवा है जो सही एवं सत्य है। वादनी का विभिन्न दस्तावेज जैसे- आधार कार्ड, एस.बी.आई. बैंक शाखा मनोहरथाना, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जॉबकार्ड, वृद्धावस्था राशन पी0पी0ओ0 कार्ड में वादनी का नाम मांगीबाई पुत्री देवा है। जो सही एवं सत्य है। सलिये मैं वादनी वाद की मद न0 1 में दर्ज नाम घीसी पुत्री देवा को दुरस्त करवाकर उसके स्थान पर मांगीबाई पुत्री देवा दर्ज करवाना चाहती हूं जो कि मेरा सही एवं वास्तविक नाम है। उक्त वर्णित आराजी में दर्ज नाम घीसी पुत्री देवा नाम जमाबन्दी में दर्ज नाम तथा अन्य दस्तावेजात में मांगीबाई पुत्री देवा दर्ज होने के कारण उक्त जमाबन्दी पर

सरकारी योजना व किसान कार्ड तथा अन्य लाभ लेने में मुझ वादनी को परेशानी आती रहती है। इसलिए मैं वादनी वाद में दर्ज नाम घीसी पुत्री देवा को दुरस्त करवाकर उसके स्थान पर मांगीबाई पुत्री देवा दर्ज करवाना चाहती है। जो मेरा सही एवं वास्तविक नाम है। वर्णित आराजी में दर्ज नाम घीसी पुत्री देवा नाम को दुरस्त करवाने बाबत मुझ वादनी ने प्रतिवादी के यहां कई बार आवेदन किया तथा कई बार मौखिक रूप से प्रयास किया परन्तु प्रतिवादी द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई अन्तिम बार दिनांक 18.12.2020 को प्रतिवादी को आवेदन करने एवं मौखिक रूप से उनके द्वारा कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं देने से वाद हेतु उत्पन्न हुआ है। यही वाद का कारण है। अतः वादनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित आराजी ग्राम नागनियाखेडी पटवार हल्का जावर तहसील म0 थाना कि माल की खाता संख्या नया 99 पुरानी 86 की खसरा नम्बरान कमशः 141 की 0.5099 हैक्ट0, 143 की 0.0162 हैक्ट0, 146 की 0.0647 हैक्ट0, 147 की 0.0243 हैक्ट0, 151 की 0.0890 हैक्ट0, 160 की 0.0405 हैक्ट0, 164 की 0.0728, 168 की 0.0647 हैक्ट0, 186 की 0.0971 हैक्ट0, 302 की 0.1538 हैक्ट0, 304 की 0.5018 हैक्ट0, 71 की 0.5585 हैक्ट0, 72 की 0.1538 हैक्ट0 कुल 15 किता की 3.2051 हैक्ट0 आराजी में वादनी का नाम घीसी पुत्री देवा को दुरस्त करवाकर उसके स्थान पर मांगीबाई पुत्री देवा अंकित किया जावे। इस बाबत डिकी जारी हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादनी द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं दस्तावेज पर गौर किया गया। जिसके आधार पर वादनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार को आदेश दिया जाता है कि वर्णित आराजी ग्राम नागनियाखेडी पटवार हल्का जावर तहसील म0 थाना कि माल की खाता संख्या नया 99 पुरानी 86 की खसरा नम्बरान कमशः 141 की 0.5099 हैक्ट0, 143 की 0.0162 हैक्ट0, 146 की 0.0647 हैक्ट0, 147 की 0.0243 हैक्ट0, 151 की 0.0890 हैक्ट0, 160 की 0.0405 हैक्ट0, 164 की 0.0728, 168 की 0.0647 हैक्ट0, 186 की 0.0971 हैक्ट0, 302 की 0.1538 हैक्ट0, 304 की 0.5018 हैक्ट0, 71 की 0.5585 हैक्ट0, 72 की 0.1538 हैक्ट0 कुल 15 किता की 3.2051 हैक्ट0 में वादनी का नाम घीसी पुत्री देवा को दुरस्त करवाकर उसके स्थान पर मांगीबाई पुत्री देवा अंकित किया जाता है। डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।


(श्री अशोक चरण शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी जिला कालाहांड

फाईनल डिक््री मुकदमात इव्तदाई
(ओ020 रूल0 6-7 जाप्ता दीवानी)

निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला
झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24/06/2022

प्रकरण सख्या 140/दावा/2020

तारीख दायरा 23.12.2020

ऑनलाइन प्रकरण सख्या 00190/2020

उनवान

मांगीबाई पुत्री देवा पत्नी बीरमचन्द जाति लोधा निवासी नागनियाखेडी हाल मुकाम समरोल
तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

----- वादिनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

----- प्रतिवादी

धारा 136 एल0आर0एक्ट

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ अभिषेक चारण (आर0ए0एस0)
बहाजरी वकील वादी श्री अशोक कुमार लववंशी मिन जानिब मुद्दालय
----- ने पेश होकर वाद डिक््री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-

ग्राम नागनियाखेडी पटवार हल्का जावर तहसील म0 थाना कि माल की खाता संख्या नया
99 पुरानी 86 की खसरा नम्बरान कमशः 141 की 0.5099 हैक्ट0, 143 की 0.0162
हैक्ट0, 146 की 0.0647 हैक्ट0, 147 की 0.0243 हैक्ट0, 151 की 0.0890 हैक्ट0, 160 की 0.
0405 हैक्ट0, 164 की 0.0728, 168 की 0.0647 हैक्ट0, 186 की 0.0971 हैक्ट0, 302 की
0.1538 हैक्ट0, 304 की 0.5018 हैक्ट0, 71 की 0.5585 हैक्ट0, 72 की 0.1538 हैक्ट0 कुल
15 किता की 3.2051 हैक्ट0 में वादिनी का नाम घीसी पुत्री देवा को दुरस्त करवाकर उसके
स्थान पर मांगीबाई पुत्री देवा अंकित किया जावे।

आज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से मजमे आम में जारी की
गई।

(श्री अभिषेक चारण) (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना जिला झालावाड राज0